GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO.347 TO BE ANSWERED ON 22.07.2025

REGIONAL RESOURCE AND TRAINING CENTRES FOR SENIOR CITIZENS

347. SHRI RAJA A:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

- (a) whether the Government is framing any national policy on senior citizens, keeping in view 20% of total population by 2047 will be senior citizens, if so, the details thereof;
- (b) whether any new Regional Resource and Training Centres (RRTC) likely be set up under Integrated Programme for senior citizens, Atal Vayo Abhyuday Yojana in the country, if so, the details thereof;
- (c) the total number of RRTCs in the country and their location; and
- (d) the details of concessions and facilities that are available to senior citizens in the country and whether any awareness campaign launched for the benefit of senior citizens and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI B.L.VERMA)

- (a): The present National Policy on Older Persons envisages State support to ensure financial and food security, health care, shelter, protection and other needs of older persons to improve quality of their lives.
- (b) to (c): There are 11 Regional Resource Training Centres(RRTCs) functioning under Atal Vayo Abhudaya Yojana(AVYAY) which act as key nodal agency on aged care under overall direction and supervision of Ministry of Social Justice and Empowerment, providing overall technical support and inputs on senior citizens programs in their assigned States allocated by the Ministry. List of RRTCs and their location is at Annexure-I
- (d): Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing an umbrella scheme namely, Atal Vayo Abhyudaya Yojana (AVYAY). The scheme has following components:
 - i. Integrated Programme for Senior Citizen(IPSrC) Grant in aid is provided to Non-Governmental/ Voluntary Organisations for running and maintenance of senior citizen homes (old age homes), continuous care homes, etc. Facilities like shelter, nutrition, medicare and entertainments are provided free of cost to indigent senior citizens
 - ii. State Action Plan for Senior Citizen(SAPSrC)- Under State Action Plan for Senior Citizens (SAPSrC), the Government of India perceives a major and critical role of all State Governments in partnering and implementing the Action Plan for welfare of senior citizens. Grant in aid is provided to States/ UTs for activities like awareness generation, sensitization, cataract surgeries and States provided to States.

- iii. Elderline The National Helpline for Sr Citizens is to generate awareness about the Act, schemes and programmes being executed by different Central & State Governments and to provide platform to redress grievances of Sr Citizens across the country.
- iv. Rastriya Vayoshri Yojana(RVY)- The Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing the scheme of 'Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY)' with an objective to provide senior citizens, belonging to BPL category or the senior citizen with the monthly income not more than Rs. 15000/- and suffering from age related disabilities/ infirmities, with such physical aids and assisted living devices which can restore near normalcy in their bodily functions. The scheme was launched on 01.04.2017. The Scheme is implemented through the 'Artificial Limbs Manufacturing Corporation (ALIMCO)', (a Central Public Sector Undertaking) as the sole implementing agency.
- v. Seniorcare Ageing Growth Engine(SAGE) to promote out-of- the-box and innovative solutions for the commonly faced problems, innovative start- ups would be identified and encouraged for developing products, processes and services for the welfare of the elderly. The selection of the start-ups would be made through a transparent process and the fund would be provided as equity, subject to the Govt investment not exceeding 49% of the total equity of the Firm.
- vi. Training of Geriatric Care Givers- The main objective is to bridge the gap in supply and increasing demand in the field of geriatric caregivers so as to provide more professional services to the senior citizens and also to create a cadre of professional care givers in the field of geriatrics.
- vii. Other Initiatives for Senior Citizens: In order to solve the problems of healthy and productive ageing, several initiatives are being done across the country. The initiatives are aimed at involving the elders in building up knowledge which can be useful for the society as a whole.

Further, Ministry of Social Justice and Empowerment has notified The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (MWPSC) Act, 2007 to ensure need based maintenance for parents and senior citizens and their welfare. The Act provides for Maintenance of Parents/senior citizens by children/ relatives made obligatory and justiciable through Tribunals, Revocation of transfer of property by senior citizens in case of neglect by relatives, Penal provision for abandonment of senior citizens, Establishment of Old Age Homes for Indigent Senior Citizens, Adequate medical facilities and security for Senior Citizens.

To create awareness, information is made available on the website of the Ministry, e-Anudaan portal, Social Media and dissemination through the State Governments. Further, Regional Resource Training Centres (RRTCs) conduct workshops and capacity building programs to generate awareness about various measures being taken by the Ministry of Social Justice and Empowerment for welfare of senior citizens. The Ministry of Social Justice and Empowerment celebrates the International Day of Older Persons on 1st October every year to generate awareness across the country about the importance and needs of the senior citizens.

In addition to above, the details of concessions and facilities given by other Ministries/ Departments is given at Annexure-II. Annexure to reply of Parts (b) to (c) of Lok Sabha Un-starred Question No. 347 to be answered on 22/07/2025

Regional Resource and Training Centers (RRTCs) under Atal Vayo Abhyudaya Yojana(AVYAY)- Name and Location

S.No	Name of RRTC	Address	Allocated States/Union
•			Territories
1.	Anugraha	B-33, Ground floor, Arya Nagar Apartments,91, Opposite CNG Station, I.P Extension, Delhi	Delhi, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Ladakh
2.	Nightingales Medical Trust	H.No. 149, 1st floor, Hayashree, close to Cloud Nine Hospital, 11th main, between 16th and 17th cross, Bengaluru, Karnataka	Karnataka, Kerala, Lakshadweep
3.	Integrated Rural Development and Educational Organization	IRDEO, Ground Floor, Near Public Pond, Uyal Wangbal, Toubal, Manipur	Manipur, Tripura, Sikkim, Nagaland
4.	Calcutta Metropolitan Institute of Gerontology	43, 1st & 2nd, Purbalok, Singha Bari EM Bypass, Kalikapur, EM Bypass, Kolkata	Bihar, West Bengal
5.	Janaseva Foundation	304/721/2A, 3rd floor, Indulal Complex, Near Kaka Halwai Sweet Home, Navi Peth, Lal Bahadur Shastri Road, Pune, Maharastra	Vidarbha (Maharashtra), Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu
6.	Centre for the Study of Social Change	F block, First Floor, M N Roy Human Campus, Next to Uttar Bhartiya Bhavan College, Mumbai, Maharastra	Rest of Maharashtra, Chhattisgarh, Goa
7.	Heritage Foundation	Plot No 9, 5th Floor, Kshetra Building, Near Sai Baba Temple, Sai Aishwarya Layout, Street No. 18, Khajaguda Serilingampally, Hyderabad, Telangana	Andhra Pradesh, Telangana, Andaman & Nicobar Islands
8.	HelpAge India	Lady Harding Cottage (No.3), Near H.P. High Court, Bambloe, Shimla – 171001, Himachal Pradesh	Punjab, Chandigarh, Himachal Pradesh
9.	National Resources Centre for Women Development	357/542, Ground Floor, Maa Samaleswari Temple, Gumlee Road, Sambalpur, Odisha	Odisha, Jharkhand
10.	Mission Movement	T/19, 3rd Floor, Ngama Building, Near Vishal Mega Mart, Bawngkawn, Ngama Building, Bawngkawn, AIZAWAL, Mizoram	Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram
11.	HelpAge India	HelpAge India, 3–C, Thiagaraja Complex, 853, Poonamallee High Road, Kilpauk, Chennai – 600010, Tamilnadu.	Tamil Nadu, Puducherry

Annexure to reply of Parts (d) of Lok Sabha Un-starred Question No. 347 to be answered on 22/07/2025

1. <u>Ministry of Rural Development</u>: Ministry of Rural Development is running Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) under National Social Assistance Programme (NSAP) under which monthly pension at the rate of Rs.200/-per month is being paid to old age persons in the age group of 60 to 79 years belonging to Below Poverty Line (BPL) households. The amount of pension is increased to Rs.500/- per month in respect of these beneficiaries on reaching the age of 80 years and above.

The States/UTs are however, encouraged to provide top-ups over and above the central assistance under the NSAP pension schemes. Presently, these amounts range from Rs.50 to Rs.3800 per month per beneficiary under old age pension. As a result, old age beneficiaries are getting, on an average, monthly pension of Rs.1000 in several States/UTs.

NSAP guidelines stipulate to ensure wide and continuous publicity about the entitlements under the schemes of NSAP and the procedure for claiming them through posters, brochures, media and other means.

- 2. <u>Ministry of Railways</u>: The following facilities have been extended from time to time to Senior citizens:
 - i. In the computerized Passenger Reservation System (PRS) there is a provision to allot lower berths to Senior Citizens, Female passengers of 45 years and above automatically, even if no choice is given, subject to availability of accommodation at the time of booking.
 - ii. A combined quota of six to seven lower berths per coach in Sleeper class, four to five lower berths per coach each in Air Conditioned 3 tier (3AC) and three to four lower berths per coach in Air Conditioned 2 tier (2AC) classes (depending on the number of coaches of that class in the train) has been earmarked for senior citizens, female passengers 45 years of age and above and pregnant women.
 - iii. Instructions have been issued for earmarking a minimum of 07 seats for senior citizens in 1st and last 2nd class general compartment for entire period of local train services on suburban sections of all zonal Railways.
 - iv. Wheelchairs are provided by Railways and given to attendants of the Divyangjans, old aged passengers etc absolutely free of cost to escort them from and to the trains.
 - v. Battery Operated Vehicles (BOVs) are provided at major railway stations to passengers on 'first come first served' basis with due preference to Divyangjans, Senior Citizens, Sick passengers and Pregnant women. This facility is provided 'free of cost' through Corporate Social Responsibility (CSR) and commercial publicity route as well as on chargeable basis.

- vi. After departure of the train, if there are vacant lower berths available in the train and if any person with disability booked on the authority of handicapped concession or a senior citizen or a pregnant woman, who has been allotted upper/middle berth, approaches for allotment of vacant lower berths, the on-board Ticket Checking Staff has been authorized to allot the vacant lower berth to them making necessary entries in the chart.
- vii. Separate counters are earmarked at various Passenger Reservation System (PRS) centers for dealing with the reservation requisitions received from ladies, persons with disability, Senior Citizens, Ex. MPs, MLAS, accredited journalists and freedom fighters, if the average demand per shift not less than 120 tickets. In case there is no justification for earmarking of an exclusive counter for any of these categories of persons including ladies, persons with disability or senior citizens, one or two counters depending upon the total demand are earmarked for dealing with the reservation requests for all these categories of persons.
- 3. Ministry of Health & Family Welfare: The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) has provisioned for health cover of Rs. 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization with a target of approximately 55 Cr beneficiaries corresponding to 12.37 Crore families constituting the bottom 40% of India's population. On 29th October 2024, the Government expanded Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana to provide free treatment benefits of up to ₹5 lakh per year to all senior citizens aged 70 years and above, irrespective of their socio-economic status.

Further, the Ministry of Health & Family welfare had launched the "National Programme for Health Care of the Elderly" (NPHCE) during 2010-11 to address various health related problems of elderly people. The objectives of NPHCE is to provide accessible, affordable, and high-quality long-term, comprehensive and dedicated care services to the elderly population. The relevant components of the program are:

- a) National Health Mission (NHM) Component: Primary & Secondary care service delivery through District Hospitals (DH), Community Health Centres (CHC), Primary Health Centres (PHC), Sub-Centre/Health & Wellness Centres.
- b) Tertiary Component ('Rashtriya Varisth Jan Swasthya Yojana'): These services are being provided though Regional Geriatric Centres (RGCs) located at 17 Medical colleges and two National Centres of Aging (NCAs) one in AIIMS, Ansari Nagar, New Delhi and another in Madras Medical College, Chennai.

Packages of Services

The program has two components for provision of geriatric health care services i.e: district/ subdistrict level component and tertiary level component. The package of services provided to elderly people at both levels is as given below: Sub Centre:

- a) Health Education related to healthy ageing, environmental modifications, nutritional requirements, life styles and behavioural changes.
- b) Special attention to home bound / bedridden elderly persons and provide training to the family health care providers in looking after the disabled elderly Persons.

Primary Health Centre:

Weekly geriatric clinic by a trained Medical officer (MO). Services would include: conducting health assessment of the elderly persons and simple investigation including blood sugar, etc.

Community Health Centre

- a) Biweekly geriatric Clinic and Rehabilitation services to be managed by trained staff and rehabilitation worker at CHCs.
- b) Domiciliary visits by the rehabilitation worker will be undertaken for bed-ridden elderly and counselling to family members for care such Patients.

District Hospitals:

- a) Dedicated Geriatric OPD services, In-door admissions through 10 bedded geriatric ward, laboratory investigations and rehabilitation services.
- b) Provide services for the elderly patients referred by the CHCs/PHCs etc. and refer severe cases to tertiary level hospitals.

Tertiary Level

A. Regional Geriatric Centers:

a) Provide tertiary level services for complicated/serious Geriatric Cases referred from Medical Colleges, District Hospitals and below.

B. National center for Ageing

- a) High level tertiary care with multidisciplinary clinical services involving medical and surgical disciplines.
- b) Specialised OPD care in various clinical disciplines. Special clinics like memory clinic, fall and syncope clinic, frail elderly clinic, aids and appliances clinic, implants and cosmetic clinic.
- c) Day care centre for: Investigations, rehabilitation, respite care, dementia care, continence care
- d) In patient care for: Intensive care, acute rehabilitation, diagnostic and therapeutic services, long term rehabilitation service.
- e) Human resources development in all sub-specialties of Geriatric Medicine
- f) Developing evidence based treatment protocols for Geriatric diseases prevalent in the country.
- 4. <u>Legislative Department, Ministry of Law & Justice</u>: Rule 18(a)(v) read with Rule 27A(aa) of the Conduct of Election Rules, 1961 entitles Senior Citizens above 85 years of age to cast their vote by post.
- 5. <u>Ministry of Home Affairs:</u> Ministry of Home Affairs has issued a number of Advisories to the State Government and UT Administrations for protection of life, property, safety and security of Senior Citizens.



भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 347

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र

347. श्री ए. राजाः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

- (क) क्या सरकार 2047 तक कुल जनसंख्या के 20% हिस्से के विरिष्ठ नागरिक हो जाने को ध्यान में रखते हुए विरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश में विरष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोई नया क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) स्थापित किए जाने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में आरआरटीसी की कुल संख्या कितनी है और वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं; और
- (घ) देश में वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध रियायतों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और क्या वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा)

- (क): वृद्धजनों के संबंध में वर्तमान राष्ट्रीय नीति में वृद्धजनों के जीवन की गुणवता में सुधार के लिए उनकी वितीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, संरक्षण और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य के समर्थन का विचार किया गया है।
- (ख) से (ग): अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत 11 क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण प्रिक्षिण केंद्र (आरआरटीसी) कार्यरत हैं, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समग्र निर्देशन और पर्यवेक्षण में वृद्धजन देखभाल पर प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं मंत्रालय द्वारा आवंटित अपने-अपने राज्यों में वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रमों पर समग्र तकनीकी

सहायता और जानकारी प्रदान करते हैं। आरआरटीसी की सूची और उनके स्थान संलग्नक-। में दिए गए हैं।

- (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) नामक एक व्यापक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:
 - i. एकीकृत विरष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) विरष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। निरिश्रित विरष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिंकेत्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की
- ii. व्यक्तिठहैं मागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) भारत सरकार यह समझती है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य योजना की भागीदारी और कार्यान्वयन में सभी राज्य सरकारों की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है। जागरूकता पैदा करने, संवेदनशीलता बढ़ाने, मोतियाबिंद सर्जरी और राज्य विशेष्ट गतिविधियों जैसे कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- iii. एल्डरलाइन: राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन का उद्देश्य विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना है।
- iv. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)' का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों अथवा 15000/- रुपये से कम मासिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों और आयु-संबंधी दिव्यांगताओं विनिर्योग्यताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध कराना है, जो उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सकें। यह योजना 01.04.2017 को शुरू की गई थी। इस योजना को 'कृतिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।
 - v. सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) आम तौर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए विशिष्ट और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के लिए, वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने हेतु अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टार्ट-अप का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और निधि इक्विटी के रूप में प्रदान की जाएगी, बशर्त कि सरकारी निवेश फर्म की कुल इक्विटी के 49% से अधिक न हो।

- vi. वृद्धावस्था देखभातकर्ताओं का प्रशिक्षण- इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभातकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है, तािक वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभातकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।
- vii. विरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल: स्वस्थ और उपयोगी वृद्धावस्था हेतु देश भर में कई पहल की जा रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य वृद्धों को ज्ञान के निर्माण में शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 को अधिसूचित किया है। अधिनियम में बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण का प्रावधान किया गया है, जो न्यायधिकरणों के माध्यम से अनिवार्य और न्यायचित बनाया गया है, जिसमें रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द किए जाने, वरिष्ठ नागरिकों को त्यागने पर दंडात्मक प्रावधान, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट, ई-अनुदान पोर्टल, सोशल मीडिया और राज्य सरकारों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) विरष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाएं और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विरष्ठ नागरिकों के महत्व और आवश्यकताओं के बारे में देश भर में जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य मंत्रालयों विभागों द्वारा दी जाने वाली रियायतों और सुविधाओं का विवरण संलग्नक-11 में दिया गया है। लोक सभा में दिनांक 22/07/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 347 के भाग (ख) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) - नाम और स्थान

	3 m 3 m 3 m		30-iC-1 (-i
क्र.सं.	आरआरटीसी के	पता	आवंटित राज्य/संघ राज्य
	नाम		क्षेत्र
1.	अनुग्रह	बी-33, ग्राउंड फ्लोर, आर्य नगर	दिल्ली, हरियाणा,
		अपार्टमेंट, 91, सीएनजी स्टेशन के	उत्तराखंड, उत्तर प्रदे श ,
		सामने, आई.पी एक्सटेंशन, दिल्ली	जम्मू और कश्मीर,
2.	नाइटिंगेल्स	मकान संख्या 149, प्रथम तल, हयाश्री,	
	मेडिकल ट्रस्ट	क्लाउड नाइन हॉस्पिटल के पास, 11वीं	
		मेन, 16वें और 17वें क्रॉस के बीच,	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
		बेंगल्र, कर्नाटक	
		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.	एकीकृत ग्रामीण	आईआरडीईओ, भूतल, सार्वजनिक	मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम,
	विकास और शैक्षिक	तालाब के पास, उयाल वांगबल, तौबल,	ग ालैंड
	संगठन	मणिपुर	
	कलकत्ता	43, पहला और दूसरा, पुरबलोक, सिंघा	
	मेट्रोपॉलिटन	बारी ईएम बाईपास, कालिकापुर, ईएम	बिहार, पश्चिम बंगाल
4.	इंस्टीट्यूट ऑफ	बाईपास, कोलकाता	
	जेरोन्टो लॉ जी	•	
	जनसेवा फाउंडेशन	304/721/2ए, तीसरी मंजिल, इंदुलाल	विदर्भ (महाराष्ट्र), मध्य
		कॉम्प्लेक्स, काका हलवाई स्वीट होम	प्रदेश, गुजरात, राजस्थान,
5.		के पास, नवी पेठ, लाल बहाद्र शास्त्री	दादरा और नगर हवेली,
		रोड, पुणे, महाराष्ट्र	दमन और दीव
6.	सामाजिक	एफ ब्लॉक, प्रथम तल, एमएन रॉय	शेष महाराष्ट्र, छतीसगढ़, गोवा
	परिवर्तन अध्ययन	ह्यूमन कैंपस, उत्तर भारतीय भवन	
	केंद्र	कॉलेज के बगल में, मुंबई, महाराष्ट्र	
7.	हेरिटेज फाउंडेशन	प्लॉट नंबर 9, 5वीं मंजिल, क्षेत्र	
		बिल्डिंग, साईं बाबा मंदिर के पास, साईं	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
		ऐश्वर्या लेआउट, स्ट्रीट नंबर 18,	अंडमान और निकोबार
		खाजागुड़ा सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद,	द्वीप समूह
		तेलंगाना	
L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
8.	हेल्पएज इंडिया	लेडी हार्डिंग कॉटेज (नंबर 3), हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पास, बम्बलो, शिमला - 171001, हिमाचल प्रदेश	पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश
9.	राष्ट्रीय महिला विकास संसाधन केंद्र	357/542, ग्राउंड फ्लोर, मां समलेश्वरी मंदिर, गुमली रोड, संबलपुर, ओडिशा	ओडिशा, झारखंड
10.	मिशन आंदोलन	टी / 19, तीसरी मंजिल, नगामा बिल्डिंग, विशाल मेगा मार्ट के पास, बावंगकाउन, नगमा बिल्डिंग, बावंगकावन, आइजोल, मिजोरम	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम
11.	हेल्पएज झॅंडिया	हेल्पएज इंडिया, 3-सी, त्यागराज कॉम्प्लेक्स, 853, पूनमल्ली हाई रोड, किलपौक, चेन्नई - 600010, तमिलनाडु।	तमिलनाडु, पुडुचेरी

लोक सभा में दिनांक 22/07/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अताराँकित प्रश्न संख्या 347 के भाग (घ) में उल्लिखित संलग्नक

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) चला रहा है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्ध व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह की दर से मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इन लाभार्थियों की 80 वर्ष या उससे अधिक आयु हो जाने पर पेंशन की राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

हालाँकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत यह राशि प्रति लाभार्थी 50 रुपये से लेकर 3800 रुपये प्रति माह तक है। परिणामस्वरूप, कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धावस्था लाभार्थियों को औसतन 1000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है।

एनएसएपी के दिशा-निर्देशों में एनएसएपी की योजनाओं के अंतर्गत पात्रताओं तथा उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पोस्टर, ब्रोशर, मीडिया और अन्य माध्यमों से व्यापक और निरंतर प्रचार स्निश्चित करने का प्रावधान है।

- 2. <u>रेल मंत्रालय:</u> वरिष्ठ नागरिकों को समय-समय पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:
 - कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में विरष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को निचली बर्थ स्वचालित रूप से आवंटित करने का प्रावधान है, भले ही कोई विकल्प न दिया गया हो, जो बुकिंग के समय स्थान की उपलब्धता के अधीन होता है।
- ii. विरष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी में प्रत्येक कोच में छह से सात निचली बर्थ, वातानुक्लित 3 टियर (3AC) श्रेणी में प्रत्येक कोच में चार से पांच निचली बर्थ और वातानुक्लित 2 टियर (2AC) श्रेणी में प्रत्येक कोच में तीन से चार निचली बर्थ (ट्रेन में उस श्रेणी के कोचों की संख्या के आधार पर) का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है।
- iii. सभी क्षेत्रीय रेलवे के उपनगरीय खंडों पर स्थानीय रेल सेवाओं की पूरी अवधि के लिए प्रथम और अंतिम द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम 07 सीटें निर्धारित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।



- iv. रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों, वृद्ध यात्रियों आदि के परिचारकों को व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाती है, जो उन्हें ट्रेन से लाने-ले जाने के लिए बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है।
 - v. प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर बैटरी चालित वाहन (बीओवी) उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें दिव्यांगजनों, विरष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह सुविधा कॉपॅरिट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और विणिज्यिक प्रचार माध्यमों के माध्यम से 'निःशुल्क' और शुल्क-आधारित भी प्रदान की जाती है।
- vi. गाड़ी के प्रस्थान के बाद, यदि गाड़ी में खाली निचली बर्थ उपलब्ध हैं और यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति, जिसे दिव्यांग रियायत के तहत टिकट बुक किया गया है या कोई विरुठ नागरिक या गर्भवती महिला, जिसे ऊपरी/मध्य बर्थ आवंटित की गई है, खाली निचली बर्थ के आवंटन के लिए संपर्क करता है, तो ट्रेन में मौजूद टिकट जांच कर्मचारी को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियां करके उन्हें खाली निचली बर्थ आवंटित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- vii. महिलाओं, दिव्यांगजनों, विरष्ठ नागरिकों, पूर्व सांसदों, विधायकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आरक्षण संबंधी मांगों को निपटाने के लिए विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों पर अलग काउंटर निर्धारित किए गए हैं, यदि प्रति पाली औसत मांग 120 टिकटों से कम न हो। यदि महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों या विरष्ठ नागरिकों सहित इन श्रेणियों के किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष काउंटर निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है, तो कुल मांग के आधार पर एक या दो काउंटर इन सभी श्रीणियों के व्यक्तियों के आरक्षण अनुरोधों से निपटने के लिए निर्धारित किए जाते हैं।
- 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) ने मध्यम स्तर और विशेष्ट स्तर की देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर का प्रावधान किया है। इसका लक्ष्य लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जो भारत की 40% आबादी के निचले स्तर के 12.37 करोड़ परिवारों हैं। 29 अक्टूबर 2024 को, सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया।

इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु 2010-11 के दौरान "वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) शुरू किया था। एनपीएचसीई का उद्देश्य वृद्धजनों को सुलभ, किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक, व्यापक और समर्पित देखभाल सेवाएँ प्रदान करना है। कार्यक्रम के प्रासंगिक घटक इस प्रकार हैं:

- क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) घटकः जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), उप-केंद्र/स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक और मध्यम स्तर की देखभाल सेवा वितरण।
- ख) तृतीयक घटक ('राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना'): ये सेवाएं 17 मेडिकल कॉलेजों और दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्रों (एनसीए) में स्थित क्षेत्रीय जराधिकत्सा केंद्रों (आरजीसी) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जिनमें से एक एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली और दूसरा मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में स्थित है।

सेवाओं के पैकेज

इस कार्यक्रम में वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान के लिए दो घटक हैं: जिला/उप-जिला स्तरीय घटक और तृतीयक स्तरीय घटक। दोनों स्तरों पर वृद्धजनों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पैकेज नीचे दिया गया है:

उप केंद्र:

- क) स्वस्थ वृद्धावस्था, पर्यावरण में बदलाव, पोषण संबंधी आवश्यकताएं, जीवन शैली और व्यवहारिक परिवर्तन से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा।
- ख) घर पर रहने वाले/बिस्तर पर पड़े वृद्धजनों पर विशेष ध्यान देना तथा दिव्यांग वृद्धजनों की देखभाल के लिए परिवार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र:

एक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी (एमओ) द्वारा साप्ताहिक वृद्धावस्था क्लिनिक का संचालन। सेवाओं में शामिल हैं: वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन और ब्लड शुगर आदि सहित सामान्य जाँच।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

- क) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित कर्मचारियों और पुनर्वास कार्यकर्ताओं द्वारा द्विसाप्ताहिक वृद्धावस्था क्लिनिक और पुनर्वास सेवाओं का प्रबंधन किया जाएगा।
- ख) पुनर्वास कार्यकर्ता बिस्तर पर पड़े वृद्धजनों के घर जाएंगे और ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए उनके परिवार के सदस्यों को परामर्श देंगे।

जिला अस्पताल:

- क) समर्पित वृद्धावस्था ओपीडी सेवाएं, 10 बिस्तरों वाले वृद्धावस्था वार्ड के माध्यम से इनडोर प्रवेश, प्रयोगशाला जांच और प्नर्वास सेवाएं।
- ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि द्वारा रेफर किए गए वृद्ध मरीजों के लिए सेवाएं प्रदान करना तथा गंभीर मामलों को विशिष्ट स्तर के अस्पतालों में रेफर करना।

विशेष्ट स्तर

क. क्षेत्रीय वृद्धावस्था केंद्र:

क) मेंडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और उससे नीचे के अस्पतालों से रेफर किए गए जटिल/गंभीर वृद्धावस्था मामलों के लिए विशिष्ट स्तर की सेवाएं प्रदान करना।

ख. राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र

- क) चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विषयों को शामिल करते हुए बहुविषयक नैदानिक सेवाओं के साथ उच्च स्तरीय विशिष्ट देखभाल।
- ख) विभिन्न नैदानिक विषयों में विशिष्ट ओपीडी देखभात। विशेष क्लीनिक जैसे मेमोरी क्लिनिक, फॉल एंड सिंकोप क्लिनिक, कमजोर वृद्धजवों के लिए क्लिनिक, एड्स और उपकरण क्लिनिक, इम्प्लांट और कॉस्मेटिक क्लिनिक।
- ग) डे केयर सेंटर: जाँच, पुनर्वास, राहत देखभाल, मनोभंश देखभाल, निरंतर देखभाल
- घ) इन-पेशेंट देखभाल: गहन देखभाल, तीव्र पुनर्वास, नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएँ, दीर्घकालिक पुनर्वास सेवाएँ।
- ड) वृद्धावस्था की सभी उप-विशेषताओं में मानव संसाधन विकास
- च) देश में प्रचलित वृद्धावस्था के रोगों के लिए साक्ष्य-आधारित उपचार प्रोटोकॉल विक्सित करना।
- 4. विधायी विभाग. विधे और न्याय मंत्रालय: निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27क(कक) के साथ पठित नियम 18(क)(V) के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के विरष्ठ नागरिक डाक द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।
- 5. गृह मंत्रालय: गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन, संपत्ति, सुरक्षा और संरक्षा की स्रक्षा के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कई परामर्श जारी किए हैं।
